की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लिंग अन्तरों को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

1.2 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न नाम हैं, जैसे बीटीसी, जेबीटी, डी.एड (डिप्लोमा इन एजुकेशन)। अबसे, इस कार्यक्रम का नाम सभी राज्यों में एक ही होगा और इसका उल्लेख 'प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा' {डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन(डी.एल. एड)} रूप में किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

डी.एल.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक–वर्षों की अवधि वाला होगा किन्तु, विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

(क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।

(ख) संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) विद्यार्थी–अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

3.1 दखिला क्षमता

बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों का होगा। प्रारंभ में, दो बुनियादी यूनिटों की अनुमति है। लेकिन, सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं के पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जा सकती।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदार प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ख) अनु जा./अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सीट–आरक्षण और अंकों में ढ़ील केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी, जो लागू होंगे।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार चयन या किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3.4 शुल्क

संस्था केवल वह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित किया गया होगा और विद्यार्थियो से दान, प्रतिव्यक्ति फीस(केपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम –कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डी.एल.एड का कार्यक्रम बाल्यावस्था के अध्ययन, शिक्षा के सामाजिक सन्दर्भ, विषय के ज्ञान, शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्यों, और सम्प्रेषण के कौशलों को संघटित करने के लिए तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में अनिवार्य और वैकल्पिक सिद्धान्त कार्यक्रम; अनिवार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम; और व्यापक स्कूल प्रशिक्षुता शामिल होंगे। सिद्धान्त और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धक निकाय द्वारा निर्धारित अनुपात में भारांश नियत किया जाएगा। संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के एिल इसका संदर्भ निर्धारित करते समय, यह मोटे रूप से अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा। आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा, और अशक्तता। समावेशी शिक्षा डी.एल.एड (प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा) पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में शिक्षा में परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे और उनमें शिक्षणशास्त्र के बारे में वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी होंगे। सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में तीन व्यापक शीर्षकों में अर्थात बाल अध्ययन, समकालीन अध्ययन और शैक्षिक अध्ययन के अन्तर्गत शिक्षा के आधार/परिप्रेक्ष्य शामिल होंगे। सिद्धान्त के पाठ्यक्रमों में भाषा प्रवीणता और संचार, नियत कार्यों और परियोजनाओं सहित संगत क्षेत्र–आधारित अध्ययन–यूनिट भी शामिल होंगे। पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।